भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3362

(दिनांक 23.03.2022 को उत्तर के लिए)

आईएएस अधिकारियों का अभाव

3362. श्री हिबी ईडन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए कोई रणनीति बनाई है और यदि हां, तो वर्तमान में आईएएस अधिकारियों के संवर्ग में वास्तविक संख्या के मुकाबले स्वीकृत संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर आईएएस (संवर्ग) नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधन पर उनके सुझाव मांगे थे और यदि हां, तो अब तक प्राप्त सहमति/असहमति संबंधी प्रतिक्रियाओं के सारांश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने की शक्तियों को स्वयं अधिग्रहित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्रस्तावित संशोधन द्वारा संविधान में प्रदान किए गए राज्यों के गारंटीकृत अधिकार को समाप्त करने का प्रयास है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): सरकार ने सीएसई-2021 तक सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वार्षिक भर्ती को बढ़ाकर 180 कर दिया है। सरकार ने सीएसई के माध्यम से सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों की भर्ती की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। जहां तक आईपीएस का संबंध है, सीएसई (सिविल सेवा परीक्षा) के माध्यम से आईपीएस (आरआर अधिकारियों) की भर्ती को सीएसई-2020 से 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सेवाओं से शामिल किए जाने के माध्यम से रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है तथा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा राज्य सरकारों के साथ चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विभिन्न संवर्गों के आईएएस अधिकारियों की पदसंख्या, जिन्हें कुल प्राधिकृत पदसंख्या के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी), केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (एसडीपी का 40%), राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (एसडीपी का

25%), प्रशिक्षण रिजर्व (एसडीपी का 3.5%), लीव रिजर्व एवं जूनियर रिजर्व (एसडीपी का 16.5%) शामिल हैं तथा दिनांक 01.01.2021 तक की स्थिति के अनुसार पदस्थ अधिकारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संवर्ग	कुल प्राधिकृत पदसंख्या	पदस्थ
1	आंध्र प्रदेश	239	194
2	एजीएमयूटी	403	316
3	असम-मेघालय	263	187
4	बिहार	342	248
5	छत्तीसगढ	193	156
6	गुजरात	313	250
7	हरियाणा	215	181
8	हिमाचल प्रदेश	153	122
9	जम्मू और कश्मीर	137	59
10	झारखंड	215	148
11	कर्नाटक	314	242
12	केरल	231	157
13	मध्य प्रदेश	439	370
14	महाराष्ट्र	415	338
15	मणिपुर	115	87
16	नागालैंड	94	59
17	ओडिशा	237	175
18	पंजाब	231	180
19	राजस्थान	313	241
20	सिक्किम	48	39
21	तमिलनाडु	376	322
22	तेलंगाना	208	164
23	त्रिपुरा	102	61
24	उत्तराखंड	120	89
25	उत्तर प्रदेश	652	548
26	पश्चिम बंगाल	378	298

(ख) से (घ): सभी तीन अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के संवर्ग नियमों में एआईएस अधिकारियों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को अभिशासित करने वाले प्रावधान शामिल हैं। तथापि, राज्य सरकारें केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों का प्रायोजन नहीं कर रही हैं। तदनुसार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियमावली के नियम 6(1) में संशोधन करने के प्रस्ताव पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

****